Popular Front of India

G-78,2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindikunj, Noida Road New Delhi- 110025
website: www.popularfrontindia.org email:popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
18 जुलाई 2017

झारखण्ड में भीड़ के द्वारा हत्या और नफरत भरे बयान के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, 43 गिरफ्तार

वकीलों की टीम ने जेल और पाकुड़ में पीड़ितों के घरों का किया दौरा

पाकुड़, 18 जुलाईः पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल 17 जुलाई को अपने गिरफ्तार सदस्यों के घरों का दौरा किया, जिन्हें उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था जब वे गौरक्षकों के द्वारा मुसलमानों की बेरहमी से हत्या के खिलाफ और सोशल मीडिया पर नफरत भरा संदेश पोस्ट करने के आरोप में स्थानीय बीजेपी लीडर हिसाबी राय के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर झारखण्ड के पाकुड़ जिले में शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य एडवोकेट ए. मुहम्मद यूसुफ, जिलाध्यक्ष उबैदुर्रहमान तथा एरिया व यूनिट स्तर के लीडर इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे।

राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल

16 जुलाई रविवार को प्रतिनिधि मंडल ने ज़ोन अध्यक्ष मौलाना कलीमुल्लाह व सचिव हनीफ के साथ मिलकर 25 परिवारों से मुलाकात की।

जेल का दौरा

घरों के दौरे से पहले वकीलों की टीम ने पाकुड़ जिला थाने का दौरा किया तथा लीडरों और सदस्यों से मुलाकात की।

झारखण्ड में भीड़ के द्वारा हिंसा

पिछले दो सालों में झारखण्ड के अंदर गौरक्षकों के द्वारा मुसलमानों के खिलाफ भीड़ की हिंसा और हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ने कई मामलों में हस्तक्षेप किया।

लातेहार भीड़तंत्र की हिंसा के मामले में पी.आई.एल

पॉपुलर फ्रंट ने दो मुस्लिम पशु व्यापारियों की बेदर्दी से हत्या के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की, जो पेंडिंग में थी।

जमतारा पुलिस के खिलाफ रिट याचिका

कुछ महीने पूर्व "राष्ट्रीय स्कूल चलो अभियान" के तहत पॉपुलर फ्रंट ने झारखण्ड के विभिन्न इलाकों में "स्कूल किट वितरण" प्रोग्राम का आयोजन किया। जमतारा जिले में जब एक जनसमारोह में स्कूल किट बांटे जाने थे, तो नारायणपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने किट बांटने से ठीक पहले प्रोग्राम करने से मना कर दिया और माइक सेट भी ज़ब्त कर लिया। उसके बाद जब हमारे मेम्बर पुलिस थाने पहुँचे तो उसने कहा, ''आप स्कूल किट बांट सकते हैं, लेकिन आपको पॉपुलर फ्रंट का बैनर हटाना होगा। अगर इस पर राज़ी हैं तो मैं इजाज़त दे सकता हूँ।'' हमारे स्थानीय लीडरों ने इससे इनकार करते हुए प्रोग्राम शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने हमें स्कूट किट बांटने से रोक दिया और हमारे लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पुलिस थाने में बंद कर दिया गया और पाँच घण्टे बाद रिहा कर दिया गया। इस गैरकानूनी कार्यवाही के खिलाफ हमारे जमतारा जिलाध्यक्ष ने हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की।

जमशेदपुर (सरायकेला) में भीड़तंत्र के द्वारा हिंसा के मामले में कानूनी मदद

रमज़ान शुरू होने से दस दिनों पहले, जमशेदपुर से 45 कि.मी. दूर सरायकेला जिले में चार मुस्लिम पशु व्यापारियों की गौरक्षकों ने झूटे आरोप लगाकर पीट पीट कर हत्या कर दी। इस केस में पॉपुलर फ्रंट पाकुड़ जिला सचिव अब्दुलहन्नान एनसीएचआरओ और बंदी मुक्ती कमेटी की संयुक्त फैक्ट फाइंडिंग टीम में शामिल थे। टीम दो दिनों तक वहाँ रही और पीड़ित परिवारों व गांववासियों में विश्वास बहाल किया। हमने चारों पीड़ितों के परिजनों को कानूनी सहायता दी और हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की।

रामगढ़ भीड़ की हिंसक कार्यवाही एवं गिरीडीह अत्याचार

रमज़ान के अंतिम दिनों में हरियाणा में जुनैद की क्रूर हत्या के बाद रामगढ़ (झारखण्ड) में अलीमुद्दीन को गौरक्षकों के द्वारा बेदर्दी से क़त्ल किया गया और गिरीडीह (झारखण्ड) में बुजुर्ग उसमान की बुरी तरह पिटाई की गई और उनके घर को आग लगा दी गई।

हिसाबी राय का नफरत भरा संदेश और पाकुड़ का विरोध प्रदर्शन

इन दुर्घटनाओं के बाद पाकुड़ जिले के स्थानीय बीजेपी नेता हिसाबी राय ने व्हाट्सएप पर एक बयान जारी किया कि, "जो कुछ रामगढ़ और गिरीडीह में हुआ वह पाकुड़ में भी होना चाहिए। पुलिस और नए एसपी हमारे आदमी हैं। हम पुलिस की मदद से मुसलमानों का मुँह बंद कर देंगे।" इसके खिलाफ पॉपुलर फ्रंट के पाकुड़ जिलाध्यक्ष अब्दुलहन्नान ने 30 जून को पाकुड़ के टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस हिसाबी राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर मजबूर हुई। लेकिन न तो उसे गिरफ्तार किया गया और न ही कोई पूछ–ताछ की गई।

इसलिए भीड़तंत्र की हिंसा के खिलाफ और नफरत भरे बयान पर गिरफ्तारी की मांग करते हुए पॉपुलर फ्रंट पाकुड़ जिला कमेटी ने 5 जुलाई को गांधी चौक से टाउन पुलिस थाने तक एक विरोध रैली निकाली, जिसमें तीन सौ से अधिक लोगों ने भाग लिया। पुलिस ने रैली निकालने से रोका, फिर लाठी चार्ज कर दी और 65 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना हंज़ला शैख़, प्रदेश महासचिव अब्दुलवदूद और कुछ अन्य प्रदेश के जिम्मेदारों सहित अधिकतर लोग पॉपुलर फ्रंट के सदस्य थे। 30 घण्टों तक गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखे जाने और परेशान किये जाने के बाद 43 सदस्यों व लीडरों को रिमांड में रखा गया और उन्हें पाकुड़ जेल में बंद कर दिया गया। बाकी 22 सदस्यों को सीआरपीसी की धारा 107 के तहत छोटे मामले दर्ज करके छोड़ दिया गया। दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता, पूणे और राँची हाई कोर्ट से आए वकीलों की टीम पाकुड़ में ठेहरी हुई है और गिरफ्तार लोगों की जमानत के लिए कानूनी कार्यवाही कर रही है।

शफीकुर्रहमान
सेक्रेटरी, जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली